।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांक : स्था./एच.ओ./III/प्रहरी भर्ती/2011/19159 दिनांक : 8/9/11

—:: विज्ञप्ति ::—

राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 के प्रावधानों के अन्तर्गत कारागार विभाग के निम्न मण्डलों में प्रहरियों के 550 रिक्त पदों पर मण्डलवार भर्ती हेतु पात्र पुरूष एवं महिला अभ्यार्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र दस्ती अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 14.10.2011 को सांय 5.00 बजे तक संबंधित अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह के कार्यालय में आमंत्रित किये जाते हैं –

क्र.सं.	मण्डल का नाम	आवेदन प्राप्ति का पता
1.	बीकानेर	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर
2.	जोधपुर	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर
3.	कोटा	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, कोटा
4.	उदयपुर	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर

विज्ञापित पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।

1. रिक्त पदों का विवरण –

<u>बीकानेर मण्डल</u>

क्र.सं.	पदों का विवरण	अ.जा.	अ.ज.जा.	ओ.बी.सी.	वि.पि.व.	अनारक्षित	योग
1	पुरूष	11	16	18	01	29	75
2	महिला	05	08	09	0	14	36
3	उत्कृष्ट प्रतिभा के खिलाड़ी	0	0	0	0	0	0
4	भूतपूर्व सैनिक	02	03	03	0	06	14
	योग	18	27	30	01	49	125

<u>जोधपुर मण्डल</u>

क्र.सं.	पदों का विवरण	अ.जा.	अ.ज.जा.	ओबीसी	वि.पि.व.	अनारक्षित	योग
1	पुरूष	19	19	28	01	37	104
2	महिला	09	09	13	0	19	50
3	उत्कृष्ट प्रतिभा के खिलाड़ी	0	0	0	0	01	01
4	ट्राईबल सब प्लान क्षेत्र पुरूष (सिरोही)	0	0	0	0	0	0
5	ट्राईबल सब प्लान क्षेत्र महिला (सिरोही)	0	0	0	0	0	0
6	भूतपूर्व सैनिक	04	03	05	0	08	20
	योग	32	31	46	01	65	175

कोटा मण्डल

क.सं.	पदों का विवरण	अ.जा.	अ.ज.जा.	ओबीसी	वि.पि.व.	अनारक्षित	सहरिया	योग
1	पुरूष	13	06	20	01	21	01	62
2	महिला	06	02	09	0	10	0	27
3	उत्कृष्ट प्रतिभा के खिलाड़ी	0	0	0	0	0	0	0
4	भूतपूर्व सैनिक	02	01	04	0	04	0	11
	योग	21	09	33	01	35	01	100

उदयपुर मण्डल

क.सं.	पदों का विवरण	अ.जा.	अ.ज.जा.	ओबीसी	वि.पि.व.	अनारक्षित	योग
1	पुरूष	16	06	24	01	28	75
2	महिला	07	03	11	0	14	35
3	उत्कृष्ट प्रतिभा के खिलाड़ी	0	0	0	0	0	0
4	ट्राईबल सब प्लान क्षेत्र पुरूष (बांसवाडा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ)	02	18	0	0	0	20
5	ट्राईबल सब प्लान क्षेत्र महिला (बांसवाडा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ)	0	07	0	0	0	07
6	भूतपूर्व सैनिक	03	01	04	0	05	13
	योग	28	35	39	01	47	150

2. आरक्षण –

(i) विज्ञापित रिक्त पदों में महिलाओं के लिये 30% पद प्रवर्गानुसार (Category wise) दण्डवत् (Horizontal) रूप से आरक्षित हैं, जो संबंधित प्रवर्ग में आनुपातिक रूप से समायोजित किये जायेंगे। किसी वर्ग (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/वि.पि.वर्ग) में पात्र महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर ऐसे पदों को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(ii) विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम एवं निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र (अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/वि.पि.वर्ग) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, पति के नाम के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र आरक्षण की दृष्टि से मान्य नहीं होगा।

(iii) विज्ञापित पदों में 12.5% पद भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिको का आरक्षण अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/वि.पि.व. वर्ग हेतु निर्धारित आरक्षण सीमाओं के भीतर ही समायोजित होगा। प्रतिरक्षा सेवाओं से सेवामुक्ति पुस्तिका में दर्शाया गया भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी का चरित्र 'अच्छा' होना चाहिये। भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर खाली पदों को अनारक्षित मानते हुये संबंधित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(iv) भूतपूर्व सैनिक उसी अभ्यर्थी को माना जायेगा जो राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम 1998 के नियम 3 (क) के अन्तर्गत परिभाषित हैं।

(v) रिक्त पदों में से 2%पद राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प.5(31)कार्मिक/क–2/84 दिनांक 23.09.1997 में उल्लिखित उत्कृष्ट खिलाडियों के लिये आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/वि.पि.वर्ग हेतु निर्धारित आरक्षण सीमा के भीतर ही

समायोजित होगा। पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ये पद संबंधित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे।

(vi) अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार अनारक्षित पदों पर भर्ती की प्रक्रियानुसार भरा जायेगा।

(vii) जिला उदयपुर, बांसवाडा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं सिरोही के ट्राईबल सब प्लान एरिया में सम्मिलित क्षेत्रों के लिए विज्ञापित पदों में से अनुसूचित जनजाति हेतु 45% एवं अनुसूचित जाति हेतु 5% पद स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं।

(viii) बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के स्थानीय सहरिया आदिम जाति हेतु 25% पद आरक्षित हैं।

(ix) राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी की तरह माना जायेगा।

3. आवेदन शुल्क – सामान्य /अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के आवेदक द्वारा 200/– रूपये एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक द्वारा 150/– रूपये का रेखांकित भारतीय पोस्टल ऑर्डर जो संबंधित अधीक्षक कारागृह के पक्ष में देय होगा, संलग्न करना अनिवार्य है। दोषपूर्ण पोस्टल ऑर्डर प्राप्त होने पर आवेदन अस्वीकार किया जायेगा। **किसी भी परिस्थिति में परीक्षा शुल्क वापिस देय नहीं होगा।**

4. आवेदन पत्र –

(i.) अभ्यर्थी विज्ञप्ति में प्रकाशित आवेदन पत्र प्रारूप के अनुसार अपना आवेदन लीगल (8.5"X 14.0") साईज पेपर में तैयार कर प्रेषित करेगा। कारागार विभाग द्वारा आवेदन पत्र का विक्रय नहीं किया जायेगा।

(ii.) आवेदन के साथ पोस्टल ऑर्डर के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेजों की मूल अथवा छाया प्रति संलग्न नहीं की जावे।

(iii.) आवेदन पत्र के साथ विज्ञप्ति में प्रकाशित प्रारूप के अनुसार लीगल (8.5"X 14.0") साईज पेपर पर तैयार किया गया प्रवेश पत्र एवं 22/– रूपये का डाक टिकिट लगा 27.5 X 12.5 सेमी साईज का एक लिफाफा जिस पर अभ्यर्थी का पत्र व्यवहार का पूर्ण पता अंकित हो संलग्न किया जायेगा। इसका उपयोग अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक से प्रवेश पत्र भिजवाने में किया जायेगा।

(iv.) आवेदन पत्र एवं संलग्न प्रवेश पत्र में निर्धारित स्थान पर 4X3.5 (पासपोर्ट) साईज का रंगीन फोटो चिपकाना अनिवार्य है। कम्प्यूटर स्कैन द्वारा तैयार फोटो के साथ प्राप्त आवेदन अस्वीकार किये जायेंगे।

(v.) डुप्लीकेट प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी को संबंधित अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह को 4X3.5 (पासपोर्ट) साईज दो रंगीन फोटो व 200/– रूपये नकद शुल्क के साथ लिखित में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(vi.) निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

5. नियुक्ति के लिये अयोग्यता –

(i) दिनांक 01.06.2002 एवं उसके पश्चात दो से अधिक संतानों वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से एक ही संतान है, किन्तु पश्चात्‌वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा होती हैं तो संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसे प्रसव से उत्पन्न संतानों को एक इकाई माना जायेगा।

(ii) आवेदक के एक से अधिक जीवित पत्नी/पति होने पर वह नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई छूट नहीं दी गई हो।

(iii) कोई भी विवाहित/विवाहिता अभ्यर्थी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसके विवाह के समय दहेज स्वीकार किया गया हो।

6. शैक्षणिक योग्यता –

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सैकेण्डरी, दसवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

7. दृष्टि –– सभी अभ्यर्थियों के लिए दृष्टि संबंधी मानदण्ड निम्न हैं –

दृक शक्ति	बिना चश्मे के		चश्मे सहित	
	बेहतर दृष्टि	खराब दृष्टि	बेहतर दृष्टि	खराब दृष्टि
दूर की	6/6	6/60	6/6	6/13
निकट की	जे 5	जे 5	जे 1	जे 1

टिप्पणी– (1) निकट दृष्टि 5 डी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) मौलिक रंगों में विभेद न कर पाना और/या रात्रि का अन्धापन (रतौंधी) यदि हो तो अनर्हता समझी जावेगी।

(3) किसी भी रूप में स्पष्ट भैंगापन होने से अभ्यर्थी अनर्ह हो जायेगा।

8. आयु – अभ्यर्थी 01.01.2012 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए परन्तु 26 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए, किन्तु –

(i) (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/वि.पि.वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।

(ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की स्थायी निवासी है, को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी।

(ii) पंचायत समितियों और जिला परिषदों एवं राजस्थान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में अधिष्ठायी **(Substantive)** रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(iii) राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में अधिष्ठायी **(Substantive)** रूप से कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(iv) भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

(v) विधवा और विवाह विच्छिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण–विधवा अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा विवाह विच्छिन्न महिला अभ्यर्थी को विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(vi) उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोष सिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी **(Substantive)** तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।

(vii) उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो दोषसिद्ध से पूर्व अधिकायु नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था उपरिवर्णित आयु सीमा में उसके द्वारा भुगत कारावास की अवधि के बराबर की अवधि की छूट दी जायेगी।

नोट–उपरोक्त पैरा 11 के प्रावधानों में वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान **"Non Cumulative"** है अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

उदाहरणार्थ–यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के संस्थायी कर्मचारी के साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के संस्थायी कर्मचारी होने के कारण 40 वर्ष तक पात्र माना जायेगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने के कारण 5 वर्ष का अतिरिक्त लाभ देय नहीं होगा।

9. <u>राष्ट्रीयता</u> – सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि वह –

(क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
(घ) भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 से पूर्व आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या
(ङ.) भारतीय उद्‌भव का कोई व्यक्ति हो जो भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से बर्मा, पाकिस्तान, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देश कीनियां, युगाण्डा तथा तन्जानिया गणतंत्र (पूर्व वर्ती टांगानिका और जंजीवार) जाम्बिया, मलावी,जेरे तथा इथ्योपिया से आया हो।

(1) (ख) (ग) (घ) और (ड़) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके हक में भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण पत्र दे दिया हो।

10. <u>वेतनमान और पेंशन –</u>

प्रहरी पद पर नियुक्ति के उपरान्त दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 5600/– रूपये मासिक नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा। तत्पश्चात् नियमानुसार प्रहरी पद की वेतन श्रृंखला 5200–20200 (ग्रेड पे– 1800) में न्यूनतम मूल मासिक वेतन रूपये 5600 एवं अन्य देय भत्ते दो वर्ष की कालावधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त ही देय होंगे।

चयनित/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

11. <u>चरित्र</u> –

वह अभ्यर्थी जिसे ऐसे अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अध्यामता अन्तर्गस्त है, "पश्चातवर्ती देखरेख गृह" के अधीक्षक का या जहां ऐसे पश्चातवर्ती देखरेख गृह नहीं हैं तो उसे जिले के पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त पुलिस का, कारागार के महानिरीक्षक द्वारा पृष्ठांकित इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने कारावास के दौरान अपने अनुशासित जीवन से तथा पश्चात्‌वर्ती देखरेख गृह में अपने बाद के सदाचरण से यह साबित कर दिया हैं कि वह अब पूर्णतः सुधर गया हैं, अतः वह नियोजन के लिए उपयुक्त हैं।

12. <u>प्रमाण पत्र –</u>

चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को निम्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति मय एक प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत करनी होंगी –

(i) समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।

(ii) आयु प्रमाण पत्र।

(iii) अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/वि.पि.व. से संबंधित है तो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र।

(iv) यदि आवेदक राज्य कर्मचारी है तो नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(v) अन्तिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण पत्र, एवं दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से पुराने नहीं हों।

(vi) भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी होने की स्थिति में प्रतिरक्षा सेवाओं से सेवामुक्ति के समय डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र/पेंशनर होने का प्रमाण पत्र।

(vii) यदि अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प.5(31)कार्मिक/क–2/84 दिनांक 23.09.1997 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर खेल–कूद में प्रतिनिधित्व कर चुका है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र।

13. चयन प्रक्रिया –

प्रहरी भर्ती परीक्षा के लिये निर्धारित 500 अंकों का विभाजन निम्नानुसार है –

क.सं.	परीक्षा का चरण	अंक
1.	लिखित परीक्षा	400
2.	शारीरिक दक्षता परीक्षा	100
	योग	500

(1). <u>लिखित परीक्षा –</u>

(i) कारागार विभाग द्वारा निर्धारित तिथि एवं परीक्षा केन्द्रों पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसकी अवधि 2 घण्टे की होगी।

(ii) लिखित परीक्षा तीन भागों में वस्तुनिष्ठ (objective type) प्रकार की होगी। लिखित परीक्षा का भाग 'अ' 'विवेचना एवं तार्किक योग्यता' के प्रश्नों से संबंधित 180 अंक का, भाग 'ब' सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर 100 अंक का तथा भाग 'स' 'राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल इत्यादि विषयों पर आधारित 120 अंक का होगा।

(iii) प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा एवं किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 1 अंक काटा जायेगा।

(iv) लिखित परीक्षा का परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने के साथ–साथ राज्य के समस्त केन्द्रीय कारागारों एवं महानिदेशालय कारागार राज. जयपुर के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जायेगा।

(v) लिखित परीक्षा के सभी भागों के अंक अन्तिम चयन के लिये सम्मिलित किये जायेंगे।

(vi) **लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम 36% अंक उत्तीर्णांक के रूप में निर्धारित हैं।**

(2). शारीरिक मापतौल –

प्रत्येक मण्डल में विज्ञापित वर्गवार पदों के विरूद्ध लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको की वरीयता के आधार दस गुना अभ्यर्थी नियमानुसार शारीरिक मापतौल एवं दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किये जायेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के उन अभ्यर्थियों को जिन्होनें आयु में छूट प्राप्त नहीं की है, सामान्य वर्ग के कट ऑफ के समान अथवा अधिक अंक प्राप्त किये हैं, को भी सामान्य वर्ग के रिक्त पदों के विरूद्ध शारीरिक माप तौल एवं दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

पुरूष अभ्यर्थी	ऊँचाई	न्यूनतम 168 सेमी.
	सीना	बिना फुलाए 81 सेमी. फुलाने पर 86 सेमी.
(सीने का कम से कम फुलाव 5 सेमी.)		

महिला अभ्यर्थी	ऊँचाई	न्यूनतम 152 सेमी.
	वजन	न्यूनतम 47.5 किग्रा

नोट– उपरोक्त वर्णित मानदण्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 सेमी. तक की छूट देय है। गढवाली, गोरखा एवं पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों की ऊँचाई 158 सेमी. से कम नहीं होनी चाहिए।

(3). शारीरिक दक्षता परीक्षा –

शारीरिक स्क्रिनिंग समिति द्वारा शारीरिक माप–तौल में नियमानुसार सफल घोषित अभ्यर्थियों की स्थाई आदेश संख्या 04/2011 के अनुसार निर्धारित 100 अंको की शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्नानुसार ली जायेगी। निर्धारित अधिकतम समय तक दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में नियमानुसार *Qualified* घोषित किये जायेंगे –

	परीक्षा	निर्धारित समय
पुरूष अभ्यर्थी	10 कि.मी. दौड़	अधिकतम 60 मिनट में
महिला अभ्यर्थी	5 कि.मी. दौड़	अधिकतम 35 मिनट में

भूतपूर्व सैनिक शारीरिक दक्षता परीक्षा से मुक्त रहेंगे।

शारीरिक दक्षता परीक्षा क्वालिफाईंग नेचर (*Qualifying Nature*) की होगी।

(14). चयन सूची – शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर तैयार वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक संवर्ग की अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी।

(15). स्वास्थ्य परीक्षण –

मेडीकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में उपयुक्त पाया गया अभ्यर्थी ही नियुक्ति प्राप्त करने का पात्र होगा।

(16). प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन –

चयन सूची पर लिये गये अभ्यर्थियों के आयु, शिक्षा एवं वर्ग इत्यादि से संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच कराई जाएगी तथा उनसे सत्यापन प्रपत्र भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन कराया जायेगा। प्रमाण पत्रों की जाँच व चरित्र सत्यापन के उपरान्त नियमानुसार उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(17). <u>अन्य निर्देश –</u>

(i) प्रहरी पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को राजस्थान के किसी भी कारागृह/कार्यालय पर पदस्थापित किया जा सकेगा।

(ii) अभ्यर्थी की परस्पर पदीय वरिष्ठता उसी मण्ड़ल में निर्धारित की जायेगी जिस मण्ड़ल के विज्ञापित पद के विरूद्ध उसे नियुक्ति प्रदान की गई हैं।

(iii) नियुक्ति उपरान्त चयनित अभ्यर्थी को नियमानुसार निर्धारित बन्ध पत्र (Bond) भरना होगा।

(iv) आवेदन पत्र में अंकित समस्त विवरण सही होना चाहिये। परीक्षा प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र में अंकित विवरण असत्य एवं नियमानुसार सही नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को तत्काल परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा। इसी प्रकार प्रहरी पद पर नियुक्ति के पश्चात यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा असत्य विवरण के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करना सामने आता है तो प्रहरी/कर्मचारी को नियमानुसार राज्य सेवा से निष्काषित कर उसके विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(v) राज्य सेवा में सेवारत कर्मचारियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय संबंधित विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(vi) परीक्षा के सभी चरणों के दौरान अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।

(vii) अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में स्वयं की जिम्मेदारी पर भाग लेगा। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अस्वस्थता, शारीरिक हानि अथवा मृत्यु होने की दशा में उसे कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। शारीरिक रूप से अस्वस्थ अभ्यर्थी एवं गर्भवती महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग न लेने की सलाह दी जाती हैं।

(viii) परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के अनैतिक आचरण व अनुचित सामग्री का उपयोग करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित किया जायेगा एवं उसके विरूद्ध संबंधित पुलिस थाने में अभियोग भी पंजीबद्ध कराया जायेगा।

(ix) आवेदक को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

राजस्थान कारागार विभाग में प्रहरी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

वर्ष 2011

1. मण्डल का नाम [ ]

केवल कार्यालय उपयोग हेतु			
आवेदन पत्र क्रमांक		दिनांक	
रोल नम्बर			

2. आवेदक का नाम ....
   (हिन्दी में)
3. पिता का नाम ....
   (हिन्दी में)
4. राष्ट्रीयता ....
5. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता ....

....

यहां आवेदक अपना 4x3.5 सेमी आकार का फोटो गोंद से चिपका कर फोटो पर स्वयं के हस्ताक्षर करें।

6. जन्मतिथि (अंको में)

दिनांक		माह		वर्ष			
				1	9		

(शब्दों में ....

7. लिंग (√ करें) [पुरूष] [महिला]

8. शैक्षणिक योग्यता (उच्चतम शैक्षणिक योग्यता √ करें) [दसवीं] [बारहवीं] [स्नातक] [स्नातकोत्तर]

9. वर्ग का नाम (√) लगाऐं

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सहरिया आदिम	अन्य पिछडा वर्ग	विशेष पिछडा वर्ग	सामान्य वर्ग
टीएसपी क्षेत्र निवासी	भूतपूर्व सैनिक	राज्य कर्मचारी	पहाडी क्षेत्र निवासी	उत्कृष्ट खिलाडी	

10. परीक्षा शुल्क का विवरण

क्र. सं.	पोस्टल ऑर्डर न.	दिनांक	पोस्ट ऑफिस का नाम जहां से पोस्टल आर्डर क्रय किया गया है	राशि रूपये

11. आपराधिक विवरण ((√) लगाऐं)–

	हाँ	नही
(क) क्या आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है?		
(ख) क्या आवेदक का किसी आपराधिक प्रकरण में चालान हुआ है?		
(ग) क्या आवेदक को किसी आपराधिक प्रकरण में सजा मिली है?		

यदि उपरोक्त में से बिन्दु संख्या 'क' का उत्तर हाँ में है तो एफआईआर नम्बर, दिनांक धाराएँ, थाना, जिला व प्रकरण की वर्तमान स्थिति अंकित करें। ....

....

(यदि आवेदन करने के बाद भी आपके विरूद्ध न्यायालय में कोई आपराधिक कार्यवाही की जाती है तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह को दिया जाना आवश्यक है)

(आवेदक के हस्ताक्षर)

घोषणा

मै घोषणा करता/करती हूँ कि :–

1. मै विज्ञप्ति के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता रखता/ रखती हूँ।
2. मेरे द्वारा आवेदन पत्र में अंकित विवरण पूर्णतः सत्य है।
3. यदि चयन प्रक्रिया के दौरान अंकित विवरण में कोई असत्यता उजागर होती है तो मेरा आवेदन निरस्त किया जाकर मेरे विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

आवेदक के बाँये अंगूठे का निशान

स्थान :–

दिनांक :–

(आवेदक के हस्ताक्षर)

राजस्थान कारागार विभाग में प्रहरी पद हेतु परीक्षा का प्रवेश पत्र

वर्ष 2011

भाग–1 (अभ्यर्थी द्वारा भरा जावे)

यहां आवेदक अपना 4x3.5 सेमी आकार का फोटो गोंद से चिपका कर फोटो पर स्वयं के हस्ताक्षर करें।

1. मण्डल का नाम [ ]

2. जन्म

	दिनांक		माह		सन्			
(अंको में)					1	9		

(शब्दों में ....

3. शैक्षणिक योग्यता (उच्चतम शैक्षणिक योग्यता √ करें)

दसवीं	बारहवीं	स्नातक	स्नातकोत्तर

श्री / सुश्री / श्रीमती...पुत्र / पुत्री...

निवासी ....

(पत्र व्यवहार का पता) को प्रहरी पद हेतु लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भाग–2

(केवल कार्यालय उपयोग हेतु। अभ्यर्थी द्वारा नही भरा जावें)

1. आवंटित रोल नम्बर [ ]
2. परीक्षा केन्द्र ....
3. परीक्षा का दिनांक ....
4. परीक्षा का समय ....

(आवेदक के हस्ताक्षर)
(परीक्षा कक्ष में अभिजागर के समक्ष)

आवेदक के बाँये अंगूठे का निशान
(परीक्षा कक्ष में अभिजागर के समक्ष)

हस्ताक्षर जारीकर्ता अधिकारी
पद / मोहर

* *अभ्यर्थी हेतु विशेष निर्देश* *

1. *अभ्यर्थी परीक्षा के लिये निर्धारित समय से 30 मिनिट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज करायें।*
2. *अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा, शारीरिक माप–तौल एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में इस प्रवेश पत्र के आधार पर ही सम्मिलित किया जायेगा। अतः परीक्षा प्रक्रिया समाप्त होने तक इस प्रवेश पत्र को संभाल कर रखें।*